असित भट्टाचारजी

बनाम

मेसेर्स हनुमान प्रसाद ओझा और अन्य.

मई 15, 2007

(एस. बी. सिन्हा और सी. के. ठाकर, जे. जे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस.156(3), 177, 181 और 181 (4)-पूछताछ और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार-आपराधिक अपराधों का आरोप लगाने वाली शिकायत-आवेदन यू!एस.156(3) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सी. ए./सी. ए./ए-क्षेत्राधिकार के समक्ष।जब अपराधों का बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर और मुख्य रूप से इलाहाबाद उच्च अदालत द्वारा यू. पी. पुलिस थाना-क्षेत्र को जांच हस्तांतरित करने के लिए राज्य में हुआःअपराध के संबंध में वाद हेतुक का कथित हिस्सा सी. एम. एम., कलकत्ता के अधिकारिताके भीतर उत्पन्न हुआ, क्योंकि एस के संदर्भ में इसकी अधिकारिता थी।178 आरएलडब्ल्यू एस।181(4)- इसके अलावा रिट याचिका में कोई स्पष्ट अनुरोध नहीं किया गया कि पश्चिम बंगाल में दायर शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी-इसलिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा गया था-स्टेशन के आई. ओ. द्वारा जांच के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्देश अस्पष्ट और अनिश्चित काल के लिए-इसलिए निर्देश दिया गया कि जांच यू. पी. के आई. डी. 1 द्वारा की जाए, जिसे सीएम. एम., कलकत्ता को उनके अधिकार क्षेत्र-दंड संहिता,1860-एस. एस. निर्धारित करने के लिए भेजा जाएगा।120 बी, 420,406,465,468 और 478।

चेन्नई और कोलकाता निगम के साथ-साथ पश्चिम बंगाल निगम ने भी अपीलकर्ताओं को भारतीय खाद्य निगम और खुले बाजार से गेहूं, चावल आदि के

निर्यात के लिए अनुबंध दिए अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को अपने एजेंटों के रूप में नियुक्त किया ताकि वे खाद्यान्न की व्यवस्था और आपूर्ति कर सकें और इसे पश्चिम बंगाल में विभिन्न गंतव्यों पर कमीशन के आधार पर भेज सकें।प्रत्यर्थीगण खाद्यान्न के निर्यात के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में रेल रैक की व्यवस्था करते थे।यह आरोप लगाया जाता है कि ऐसी सेवाओं को प्रस्तुत करने के दौरान, प्रत्यर्थीगण ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत और मिलीभगत से विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन, आपराधिक भंग और आपराधिक साजिश के विभिन्न कृत्य किए।इसने अपने एक कर्मचारी पर हमला किया और आपराधिक रूप से डराया-धमकाया।अपीलकर्ता ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कोलकाता के समक्ष धारा 156 (3)Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया।प्राथमिकी आर. दर्ज की गई थी।1208, 420, 406, 465, 468, 478 पुलिस स्टेशन, कोलकाता में भा.दं.सं. सी.कथित उद्देश्यपूर्ण कृत्य पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर और उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए थे।पुलिस स्टेशन, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।जाँच-पड़ताल की गई।उपस्थित न होने पर प्रतिवादियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे।प्रत्यर्थीगण ने यू/एस मामले को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर की।1208, 420, 406,465, 468, 471 पी. एस. कोलकाता में भा.दं.सं. सी. एफ. आई. आर. के आधार पर गिरफ्तारी न करने के निर्देश के लिए; और मामले को यू. पी. राज्य की उच्च न्यायालय की खंड पीठ को स्थानांतरित करने के निर्देश के लिए आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति दी।इसने प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया लेकिन मामले को उत्तर प्रदेश के उपयुक्त पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जहां यानी जांच की जाएगी और

याचिकाकर्ताओं को आरोप पत्र जमा होने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।वे अपील प्रस्तुत करते हैं।

न्यायालय द्वारा निर्देशों के साथ अपील का निपटारा करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1.आपराधिक अपराध साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री एक शिकायत याचिका में मौजूद होनी चाहिए।अपराध के ऐसे अवयवों को उन स्थानों पर हटाने योग्य होना चाहिए जहां अपराध करने के संबंध में वाद हेतुक कारण उत्पन्न हुआ है।वाद हेतुक कारण जैसा कि इसकी सामान्य भाषा में समझा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) के तहत अधिकारिताके प्रयोग के लिए प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन इसकी परिभाषा दंडात्मक अपराध के आरोप को घर लाने के उद्देश्य से लागू नहीं हो सकती है।Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन में बड़ी संख्या में अपराध किए जाने का खुलासा किया गया है।यह तथ्य कि अपराधों का बड़ा हिस्सा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के अधिकारितासे बाहर हुआ, निर्विवाद नहीं है।लेकिन, भले ही अपीलकर्ता से संबंधित प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए अपराध का एक हिस्सा उक्त अदालत के अधिकारिताके भीतर किया गया था, इलाहाबाद के उच्च अदालत को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।[पैरा 22] [949-एफ-एच)

1.2. यदि कलकत्ता में कुछ प्रत्यर्थियों द्वारा धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था और धोखाधड़ी या गबन के अपराधों को करने की साजिश रची गई थी, तो निर्विवाद रूप से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोलकाता के अधिकारितामें वाद हेतुक का एक हिस्सा है।[पैरा 24) [950-एच)

1.3. धोखाधड़ी का प्रतिनिधित्व भा.दं.सं. सी. की धारा 420 के तहत अपराध करने के संबंध में आवश्यक घटकों में से एक है, एक ऐसा स्थान जहां इस तरह की

धोखाधड़ी गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है, इस प्रकार, आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई के कारण को जन्म देगा।इसी तरह, धारा 406 के तहत अपराध के अवयवों को ध्यान में रखते हुए, जहां अपराध इस अर्थ में पूरा किया गया था कि एजेंट द्वारा प्रधान को दी गई राशि का लेखा-जोखा नहीं किया गया था, वहां भी एक सांठगांठ होगी ताकि संबंधित अदालत संज्ञान लेने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सके।इसके अलावा, क्या किए गए कुछ दस्तावेजों की जालसाजी या कुछ अन्य आपराधिक दुराचारों के अपराध को धोखाधड़ी और गबन के प्रमुख अपराध को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, जिसके लिए कहा जाता है कि प्रत्यर्थीगण ने-('आपराधिक साजिश में प्रवेश किया है; और जांच की आवश्यकता है।इस प्रकार, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास इस मामले में अधिकारिताथा सी आरपीसी की 178 आर/डब्ल्यूएस 181(4) (पैरा 281 (951-डी-एफ)

1.4.प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी रिट याचिका में कोई स्पष्ट प्रार्थना नहीं की गई थी कि पश्चिम बंगाल में दायर शिकायत याचिका दुर्भावनापूर्ण थी, हालांकि पश्चिम बंगाल राज्य को मामले को यू. पी. राज्य में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट परमादेश करने के लिए प्रार्थना की गई थी।पश्चिम बंगाल राज्य के उस ओर में कानूनी कर्तव्य होने का सवाल ही नहीं उठा।केवल एस. एस. में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक जांच अधिकारी की स्थिति में।और सीआरपीसी का 178,154, 162, 177 इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कथित अपराध उसके क्षेत्रीय अधिकारिताके भीतर नहीं किया गया था, इस विषय में अधिकारितावाली पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट भेज सकता है।इसलिए उच्च न्यायालय को इस तरह का निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था।हालाँकि, यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय राहत को ढाल सकता है, यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें शिकायत याचिका में लगाए गए आरोपों के बावजूद, इसे दुर्भावनापूर्ण कहा जा सके।कार्रवाई के कारण का एक बड़ा

हिस्सा यू. पी. राज्य में उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि कलकत्ता अदालत का कोई अधिकारितानहीं था।(पारस 31 और 32] 1952-सी-ई]

नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [20001 7 एससीसी 640 और मोसरफ हुसैन खान बनाम भागीरथ एंग।लिमिटेड और ओआरएस., (2006) 3 धारा 658, संदर्भित।

1.5.इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का पालन किया गया है।उत्तर प्रदेश राज्य के एक सक्षम जांच अधिकारी द्वारा शिकायत याचिका में निहित आरोपों की जांच करने के लिए विषय की तह तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक था।उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित विभिन्न स्थानों पर कुछ अपराध किए गए थे।उच्च न्यायालय ने कोई निर्देश जारी नहीं किया था कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन से जुड़े जांच अधिकारी का अधिकारिता होगा।उच्च न्यायालय का निर्देश अस्पष्ट और अनिश्चित है।एक पुलिस स्टेशन से जुड़े आई. ओ. पूरे राज्य के भीतर जांच करने में विकलांग महसूस कर सकते हैं।इस मामले में आई. ओ. के लिए उपरोक्त उद्देश्य के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि सहित अन्य राज्यों में भी जांच करना आवश्यक हो सकता है।[पारस 35 और 361 (953-जी-एच; 954-एआई

1.6. न्यायाधीश के हित में, यह निर्देश दिया जाता है कि जाँच उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की जाएगी और जाँच के पूरा होने पर रिपोर्ट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कलकत्ता को भेजी जाएगी जो एक उचित स्तर पर अपने अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्धारण करेगा।(पैरा 371 [954-बी-एफजे

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 738 2007 ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, की सी. आर. एल. रिट याचिका क्रमांक 2317/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 09.03.2006 से

सुनील कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, ब्रज किशोर मिश्रा, अपर्णा झा, अभिषेक, सिंह, अभिषेक यादव, विक्रम और उईजवाल झा अपीलकर्ता के लिए

राकेश द्विवेदी, रत्नाकर दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक चौधरी, अविजीत भट्टाचार्य, सौम्या कुंडू, विक्रांत यादव, जावेद महमूद राव, शाहिद अली राव और मुशर्रफ चौधरी,प्रत्यर्थीगण के लिए

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा,जे. द्वारा पारित किया गया :-

अवकाश अनुदत्त की गई।

1. इसमें अपीलकर्ता को भारतीय खाद्य निगम से और भारतीय राज्य व्यापार निगम, चेन्नई और कोलकाता के साथ-साथ पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा खुले बाजार से भी गेहूं, चावल आदि के निर्यात के लिए अनुबंध दिए गए थे।प्रतिवादी संख्या I और 2 ने कथित तौर पर भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल की व्यवस्था करने और आपूर्ति करने और उन्हें आयोग के आधार पर पश्चिम बंगाल के विभिन्न गंतव्यों पर भेजने के लिए अपने एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए उनसे संपर्क किया।उक्त समझौते के अनुसार या उसे आगे बढ़ा क्रमांक के लिए,मैं प्रतिवादी संख्या 2 के निर्देश में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में रेलवे रैक की व्यवस्था करता था।अपीलकर्ता के लिए और उसकी ओर से भारतीय खाद्य निगम से बांग्लादेश को चावल और गेहूं के निर्यात के लिए मध्य प्रदेश और हरियाणा।कथित तौर में, ऐसी सेवाओं को प्रस्तुत करने के दौरान, उत्तरदाताओं ने भंग धोखाधड़ी, जालसाजी और आमें ाधिक साजिश के विभिन्न कृत्य किए।उनके एक कर्मचारी पर भी हमला किया गया।अपीलकर्ता कंपनी द्वारा मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कोलकाता के समक्ष एक शिकायत याचिका दायर की गई थी, जो कथित तौर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 (3) के तहत 15.

टी. आई. डी. 1 पर या लगभग अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए दायर की गई थी कि फरियादी कंपनी को धोखा देक्रमांक के उद्देश्य से आरोपी संख्या 2 द्वारा और 3 से 12 के बीच आपराधिक साजिश रची गई थी और/रुपये की भारी राशि का दुरुपयोग किया गया था। 1,62,32,837.00 जाली और झूठे दस्तावेज़ बनाकर, धोखाधड़ी से अपक्रमांक लेटर हेड और मुहर तैयार करके और उसी का उपयोग करके, विश्वास का भंग किया और रुपये की धनवापसी राशि वापस ले ली। 1,55,07,928.00.

2. यह विवाद में नहीं है कि उक्त कथित कृत्य पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए थे।

3. अपीलकर्ता कंपनी के बैंकरों ने रुपये का मसौदा जारी किया। 1,63,536.00 जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, सीतापुर पक्ष में, जिसका संबंधित प्रत्यर्थीगण द्वारा कथित रूप से दुरुपयोग किया गया था।

4. ₹4,50 000.00 की राशि वाली 30 इंडेंट रसीदों में से एक, यात्रा के दौरान अपीलकर्ता के एक कर्मचारी द्वारा खो गई थी और आरोपी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व करक्रमांक वाले आरोपी संख्या 6 क्रमांक जाली क्षतिपूर्ति बांड और कंपनी के लेटर हेड का उपयोग करके प्रश्न राशि को वापस ले लिया और इस प्रकार, रु। आरोपी व्यक्तियों द्वारा 4,50,000.00 का दुरुपयोग किया गया था।उक्त अपराध कथित रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के इरादातगंज में भी किया गया था। अपीलकर्ता की ओर से, आरोपी संख्या 2 क्रमांक कथित रूप से हरदोई में 40 इंडेंट के संबंध में धन जमा किया, जिसमें से कुछ राशि का भी आरोपी व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया गया था।हरदोई भी उत्तर प्रदेश राज्य में है।अपीलार्थी के बैंकरों द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम पक्ष में भी कथित रूप से गबन किया था।

5. कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में आरोपी व्यक्तियों की ओर से कई अन्य कथित आपराधिक दुराचार किए गए थे।

6. हम इस मोड़ पर उक्त शिकायत याचिका में लगाए गए कुछ आरोपों पर ध्यान दे सकते हैं।

> "8.रेलवे प्रक्रिया के अनुसार, रेलवे रैक के आवंटन के लिए संबंधित पक्ष को एक लाख रुपये का भुगतान करना होगा। 15000.00, रैक के पंजीकरण के लिए इंडेंट धन के रूप में जिसके लिए रेलवे धन रसीद जारी करता है।रेलवे मुख्यालय से कोटा की घोषणा के बाद रेक का आवंटन तदनुसार किया जाता है।इंडेंटर इंडेंटिंग की तारीख से दस दिनों के बाद किसी भी समय बिना किसी देयता के इंडेंटमनी निकालने के लिए स्वतंत्र है।तदनुसार, अभियुक्त संख्या 2 क्रमांक कुल रु 4,91,39,748.00 जिसमें से रु1,55,07,928.00 का भुगतान संबंधित रेलवे प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया था और शेष राशि रु 3,36,31,820.00 से अभियुक्त नं. हनुमान प्रसाद ओझा।रेलवे प्राधिकरणों के सभी डिमांड ड्राफ्ट आपके याचिकाकर्ता की कंपनी के लिए जारी किए गए थे।"

7. शिकायत याचिका का कंडिका 16 अपीलकर्ता के कर्मचारी कानपुर में सुबोध सिंह पर हमले और आपराधिक धमकी से संबंधित है।।

8. शिकायत याचिका का कंडिका 17 इस प्रकार हैः-

"17.ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त संख्या 2 के क्रमांक तृत्व में सभी अभियुक्त व्यक्तियों क्रमांक गंभीर अपराध किए जैसे कि लेटर पैड छापकर जाली दस्तावेज तैयार करना और आपके याचिकाकर्ता की कंपनी की मुहर जाली बनाना और जाली प्राधिकरण पत्र और रेलवे से रुपये की वापसी राशि एकत्र करना। विभिन्न रेलवे स्टेशनों के रेलवे प्राधिकरणों से 1,55,07,928.00 और धोखाधड़ी से और बेईमानी से रु। 1, 63, 536.00 जिसके लिए डिमांडड्राफ्ट को अभियुक्त संख्या 2 को जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, सीतापुर को राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, चेन्नई की ओर से आपकी याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा भेजी गई सामग्री की लागत के लिए जमा करक्रमांक के लिए सौंप दिया गया था।लेकिन अभियुक्त संख्या 2 क्रमांक बेईमानी से क्रमांक फेड इंडिया लिमिटेड के खाते में भारतीय खाद्य निगम के साथ उक्त मसौदा जमा किया और अभियुक्त व्यक्तियों क्रमांक भी ए. के. इंडस्ट्रीज और लवी इंडस्ट्रीज के रेलवे माल के भुगतान के लिए आपके याचिकाकर्ता की कंपनी की 3,57 रुपये की राशि का धोखाधड़ी और बेईमानी से उपयोग किया।अभियुक्त व्यक्तियों ने धोखाधड़ी और बेईमानी से रुपये की राशि का गबन किया। सामग्री की लागत के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, चेन्नई के खाते में जमा करने के बजाय डब्ल्यू. बी. ई. सी. एस. सी. लिमिटेड के खाते में जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, झांसी को डिमांड ड्राफ्ट जमा करके अपनी याचिकाकर्ता कंपनी का 22,03,563.00।सभी की तरह। अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता कंपनी को रुपये की राशि के लिए दुरुपयोग और/या धोखा दिया है। 1,62,32,837.00 "।

9. उक्त शिकायत याचिका में अपीलकर्ता ने आगे कहा;

"18. इस प्रकार अभियुक्त व्यक्तियों ने दूसरों के साथ मिलीभगत और मिलीभगत से जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक भंग बेईमान दुरुपयोग आदि किए और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी/420/406 465/467 468/471 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

19. कि यह एलडी. अदालत को इस मामले की सुनवाई कर क्रमांक का अधिकारिता मिला है क्योंकि आरोपी संख्या 2 की प्रस्तुति इस एल. डी.अदालत के अधिकारिता में की गई थी। अदालत और आरोपी व्यक्तियों को शिकायतकर्ता की कंपनी के इस कार्यालय में जवाबदेह होना था जो इस एल. डी. के अधिकारिता में भी है। "

10. विद्वान मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायत पर विचार करने के बाद शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी को उसमें निहित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।उक्त निर्देश के अनुसार या उमें आगे बढ़ाने के लिए जांच की गई थी।चूंकि प्रत्यर्थीगण अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए, इसलिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोलकाता द्वारा गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए थे।

11. प्रत्यर्थीगण अन्य बातों के साथ साथ बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए इलाहाबाद में उच्च अदालत के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर कीः-

"i.धारा 120B,420,406,465,468,471 आई. पी. सी. पी. एस. शेक्सपियर सरनी, कोलकाता और प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.10.2004 और 11.2.2005 आदेशों के तहत मामला संख्या 381

दिनांक 18.10.2004 जी. आर. संख्या 2711/04 में डब्ल्यू. आर. सरशियोरेराई कर क्रमांक 5. के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ii. प्रत्यर्थीगणको आदेश देते हुए कि वे दिनांकित प्राथमिकी आर. 18.10.2004 के आधार में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न करें, एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश करें।

iii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें प्रतिवादी संख्या को आदेश देना। 1 धारा 1208, 420, 406, 465, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा संख्या 381 को यूपी राज्य में स्थानांतरित करने के लिए।

iv. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो माननीय न्यायालय वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।

v. याचिकाकर्ताओं को प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थीगण से पुरस्कार लागत।"

12. विवादित फैसले के कारण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ उक्त रिट याचिका को आंशिक रूप में स्वीकार कर लिया।प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने राय दीः-

"इसलिए, मामले की समग्रता में हमारा विचार है और तदनुसार निर्देश है कि एफ. आई. आर. मामले क्रमांक ख्या 381 दिनांक 18 अक्टूबर, 2004 में धारा 120 बी, 420,406,465,468,471 आई. पी. एस., सरनी, कोलकाता के तहत एफ. आई. आर. को इस आदेश के क्रमांक

चार की तारीख द्वारा पखवाड़े की अवधि के भीतर गृह सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य और गृह सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के उपयुक्त पुलिस स्टेशन को प्रेषित किया जाए। संबंधित जांच अधिकारी प्रेषित एफ. आई. आर. की प्राप्तियों की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जांच को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करेगा। याचिकाकर्ताओं को आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट, यदि कोई हो, जमा करने तक उक्त अपराध संख्या के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।याचिकाकर्ताओं को हर संभव तरीके में जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।"

13. अतः, अपीलकर्ता हमारे सामने है।

14. इस अपील के समर्थन में अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील कुमार ने आग्रह कियाः-

(1)उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की क्योंकि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 181 की उप-धारा (4) के प्रभाव और उद्देश्य को ध्यान में रखने में विफल रहा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि जिस अदालत के स्थानीय अधिकारिताके भीतर आरोपी व्यक्तियों द्वारा संपत्ति का हिसाब लगाया जाना था, उसे भी उस मामले की सुनवाई करने का अधिकार होगा जो विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट में उनकी सिफारिशों

के अनुसार पेश किया गया था, लेकिन इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।490], जो उससे पहले प्रस्तुत किया गया था।

(ii) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग न केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 की उप-धारा (3) के संदर्भ में निर्देश जारी करके किया, बल्कि गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट भी जारी किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई क्षेत्रीय अधिकारितानहीं था, क्योंकि उक्त न्यायालय उसके पर्यवेक्षी अधिकारितामें नहीं था।इस पक्ष में सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य (2003) 6 एस. सी. सी. 675 और मोसरफ हुसैन खान बनाम भागीरथ एंग पर मजबूत निर्भरता रखी गई है। लिमिटेड और ओआरएस., [2006] 3 एससीसी 618।

(iii) केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर वाद हेतुक का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ है, यह स्वयं उत्तरदाताओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में जांच के हस्तांतरण के लिए प्रार्थना करने का अधिकार नहीं देगा।

(iv) उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या अन्यथा किसी आपराधिक मामले की जांच को एक वैधानिक प्राधिकरण से दूसरे में स्थानांतरित करने का कोई अधिकारितानहीं था।

(v) अपराध के अलावा कलकत्ता में गलत अभ्यावेदन देने वाले प्रत्यर्थीगण को विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिताके भीतर किया गया माना जाना चाहिए।चूंकि प्रत्यर्थियों को कलकत्ता में प्राप्त

राशि का हिसाब देना था, इसलिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत एक शिकायत याचिका पर विचार करने का अधिकारिताथा।

15. दूसरी ओर, अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत कियाः

(i) आरोपी व्यक्ति द्वारा किसी व्यवस्था में प्रवेश करने के उद्देश्य से किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, से यह संकेत नहीं मिलता है कि वे धोखाधड़ी वाले थे या शुरू से ही किए गए थे ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।

(ii) शिकायत याचिका में यह खुलासा नहीं किया गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अदालत के अधिकारितामें कार्रवाई का कौन सा कारण उत्पन्न हुआ और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, उक्त अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के संदर्भ में पुलिस द्वारा जांच का निर्देश देने का कोई अधिकारितानहीं था।

(iii) यह मानते हुए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 181 की उप-धारा (4) तत्काल मामले में आकर्षित होती है, इसके लिए प्रधान घटक "होना आवश्यक" है जिसका अर्थ होगा कि ऐसी आवश्यकता या तो कानून या अनुबंध द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए और उस ओर से शिकायत याचिका में कोई बदला की अनुपस्थिति में लिया गया है, तो इसका सहारा की अनुपस्थिति में लिया जा सकता है।

(iv) किसी भी स्थिति में चूंकि वाद हेतुक प्रमुख कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिताके भीतर उत्पन्न हुआ, इसलिए

यह जांच को एक जांच एजेंसी से दूसरी एजेंसी को स्थानांतरित कर सकता है।

(v) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश एक न्यायिक आदेश नहीं है क्योंकि उक्त शक्ति का प्रयोग पूर्व-जांच चरण में किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 की उप-धारा (I) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, दोनों न्यायालयों की अधिकारिताका निरोध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 और । 81 के लिए संदर्भित माना जाना चाहिए।

(vi) किसी भी स्थिति में जब शिकायत याचिका केवल प्रत्यर्थीगण को परेशान करने के लिए दायर की गई थी, तो इस अदालत को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकारिताका प्रयोग नहीं करना चाहिए और/या स्वयं आवश्यक निर्देश जारी नहीं करना चाहिए, भले ही यह माना जाए कि इलाहाबाद उच्च अदालत को इस संबंध में कोई अधिकारितानहीं था।

16. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्नाकर दास ने श्री द्विवेदी का समर्थन किया।पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अविजीत भट्टाचार्जी ने श्री का समर्थन किया। सुनील कुमार।

17. अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत कोई शिकायत याचिका दायर नहीं की।इसने अपनी धारा 156 की उप-धारा (3) के तहत एक आवेदन दायर किया।

18. धारा 156 की उप-धारा (I) किसी पुलिस थाने के प्रभारी को किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने का अधिकारिता देती है, जो अदालत अपनी सीमा के

भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है या अध्याय XIII के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने का अधिकारिता देता है, मजिस्ट्रेट की ऐसी जांच का आदेश देने की शक्ति उस व्यक्ति में निहित है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है।

19. अध्याय XIII में आपराधिक न्यायालयों की जांच और परीक्षणों के लिए अधिकारिता का प्रावधान है।धारा 177 में प्रावधान है कि प्रत्येक अपराध की सामान्य रूप से उस अदालत द्वारा जांच और मुकदमा चलाया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकारिता में यह किया गया था।धारा 178 जांच या मुकदमे के स्थान का प्रावधान करती है।यह प्रदान करता हैः

(क) जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कोई अपराध किया गया था; या

(ख) जहां कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया गया है; या

(ग) जब कोई अपराध जारी है और एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में जारी है; या

(घ) जहां इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, तो ऐसी स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले अदालत द्वारा इसकी जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है।

20. धारा 181 कुछ अपराधों के मामले में मुकदमे के स्थान का प्रावधान करती है।धारा 181 की उप-धारा (4) दंड प्रक्रिया संहिता में 1973 में पेश की गई थी क्योंकि आपराधिक गबन और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के संबंध में विभिन्न उच्च अदालतों के निर्णयों में टकराव मौजूद था और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह

प्रावधान किया गया था कि इस तरह के अपराध की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके अधिकारिता में आरोपी कानून द्वारा या लेखा देने या सौंपी गई संपत्ति को वापस करने के अनुबंध द्वारा बाध्य था, लेकिन उस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा।

21. इसमें पहले उल्लिखित प्रावधानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भले ही वाद हेतुक का कोई हिस्सा उत्पन्न हुआ हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) के तहत संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में स्थित संबंधित पुलिस स्टेशन के पास जांच करने का अधिकारिता होगा।

22. आपराधिक अपराध साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री एक शिकायत याचिका में मौजूद होनी चाहिए।अपराध के ऐसे तत्व उन स्थानों के लिए संदर्भित होने चाहिए जहां अपराध करने के संबंध में वाद हेतुक कारण उत्पन्न हुआ है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) के तहत अधिकारिता के प्रयोग के लिए वाद हेतुक एक कारण, जैसा कि इसकी सामान्य भाषा में समझा जाता है, अप्रासंगिक हो सकता है, लेकिन इसकी परिभाषा दंडात्मक अपराध के आरोप को घर लाने के उद्देश्य से लागू नहीं हो सकती है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन में बड़ी संख्या में अपराध किए जाने का खुलासा किया गया है।यह तथ्य कि अपराधों का बड़ा हिस्सा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के अधिकारिता से बाहर हुआ, विवाद में नहीं है।लेकिन, भले ही अपीलार्थी-कंपनी से संबंधित प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए अपराध का एक हिस्सा उक्त अदालत के अधिकारिता के भीतर किया गया हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। प्रत्यर्थीगण ने स्वयं अपीलकर्ता के पंजीकृत कार्यालय में अपीलकर्ता के प्रतिनिधियों और श्री हनुमान प्रसाद ओझा के बीच 18.05.2000 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख किया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ इस पर सहमति बनी थीः

"उपर्युक्त 10 रैकों की खरीद और प्रेषण के सुलह के बाद और सड़क मार्ग से 1211 एम. टी. के प्रेषण के बाद और भुगतान, बैगों की छोटी प्राप्ति और गुणवत्ता के दावे के संबंध में अब तक के प्रेषण और लेनदेन पर विचार करने के बाद श्री हनुमान प्रसाद ओझा और पी. के. एस. लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सहमति व्यक्त की है कि ए/सी.अंत में निपटाया और बंद माना जाता है और रुपये के भुगतान पर दोनों तरफ से कोई दावा नहीं होगा। 17.25,398.15 मिस पीकेएस लिमिटेड द्वारा, जिसके लिए हनुमान प्रसाद ओझा पक्ष में डीडी जारी किए जाने हैं, कानपुर में देय, इसके अलावा, श्री हनुमान प्रसाद ओझा ने पुष्टि की है कि यू. पी. सरकार के साथ बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए उपरोक्त 10 रैक और सड़क मार्ग से 1211 मीट्रिक टन की खरीद और प्रेषण के संबंध में सभी कानूनी औपचारिकताएं ली गई हैं और आगे पुष्टि की है कि यदि अभी तक कुछ भी अनुपालन नहीं किया गया है, तो उनके द्वारा वही किया जाएगा जो यू. पी. सरकार द्वारा आवश्यक हो सकता है और किसी भी कमी के मामले में वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।"

23. एक बार फिर एक अन्य खाते के संबंध में इस पर सहमति बनीः

"भुगतान के संबंध में उपरोक्त राशि की खरीद और प्रेषण के बीच सुलह के बाद, श्री हनुमान प्रसाद ओझा और पी. के. एस. लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सहमति व्यक्त की है कि ए/सी.अंत में निपटाया और बंद माना जाता है और रुपये के भुगतान पर दोनों तरफ से कोई दावा नहीं होगा। मेसर्स पी. के. एस. लिमिटेड द्वारा 40,73,860.24,

जिसके लिए डी/डी. निम्नलिखित तरीके से जारी किए जाने हैं।श्री

श्यामजी उद्योग रु। 32,00,000-गोलगोकरनाथ में देय

श्री श्यामजी चावल रु। 5, 24, 861.94-do-do -

हनुमान प्रसाद ओझा रु। 3, 48, कानपुर में देय 998.30।"

24. यदि कलकत्ता में कुछ प्रत्यर्थीगण द्वारा धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था और धोखाधड़ी या गबन के अपराधों को करने के लिए एक साजिश रची गई थी,तो निर्विवाद रूप से वाद हेतुक एक हिस्सा विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में उत्पन्न हुआ।

25. फरियादी ने आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थीगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 1208,420,406,465,468,471,478 और 481 के तहत अपराध किए हैं।

26. हालाँकि शिकायत याचिका में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन चूंकि कानपुर रेलवे स्टेशन पर सुबोध सिंह पर हमले के संबंध में कोई जांच की मांग नहीं की गई थी, इसलिए हमारे लिए इसे संबोधित करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

27. प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थियों द्वारा उनके एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।इस प्रकार, वहाँ प्रधान और अभिकर्ता का संबंध था।अभिकरण के अनुबंध के नियम और शर्तें क्या थीं और अभिकरण के उक्त अनुबंध की शर्तों के अपने हिस्से का पालन करते हुए आपराधिक दुराचार कैसे किए गए हैं, यह विस्तृत जांच का विषय होगा।

28. धोखाधड़ीपूर्ण प्रतिनिधित्व भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध करने के संबंध में आवश्यक अवयवों में से एक है, एक ऐसा स्थान जहां इस तरह की धोखाधड़ी गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है, इस प्रकार, आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए वाद हेतुक जन्म देगा।इसी तरह, धारा 406 के तहत अपराध के अवयवों

को ध्यान में रखते हुए जहां प्रत्यर्पण किए गए थे और उस स्थिति को भी जहां अपराध पूरा किया गया था, इस अर्थ में कि मूलधन के अभिकर्ता द्वारा निहित राशि का लेखा-जोखा नहीं किया गया था, इसका भी एक संबंध होगा ताकि संबंधित न्यायालय संज्ञान लेने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सके।इसके अलावा, क्या किए गए कुछ दस्तावेजों की अपराध जालसाजी या कुछ अन्य आपराधिक दुराचारों को धोखाधड़ी और गबन के प्रमुख अपराध को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रत्यर्थीगण ने आपराधिक साजिश में प्रवेश किया है; इसकी जांच की जानी चाहिए।इस प्रकार, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 181 (4) के साथ पठित धारा 178 के संदर्भ में मामले में अधिकारिता थी।

29. उच्च न्यायालय ने नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2000] 7 एस. सी. सी. 640 मामले में इस अदालत के एक फैसले पर कड़ी निर्भरता रखी है, जिसमें इस अदालत ने इस तर्क पर विचार करते हुए कहा कि बॉम्बे का उच्च न्यायालय शिलांग में फरियादी द्वारा दायर एक शिकायत याचिका को रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार नहीं करने में सही था, मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिया और मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजने के बजाय निर्देश दियाः

> "29. मामले की विचित्र तथ्य-स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि विवादित निर्णय को दरकिनार करने और मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेजने से मामले की जांच में और देरी होगी और अन्य जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।इसके बजाय यह निर्देश देना उचित और उचित होगा कि जे. बी. होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा दायर शिकायत से संबंधित आगे की जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जानी चाहिए।"

30. यह अदालत निष्कर्ष पर पहुँचा कि उच्च न्यायालय को लिखित याचिका में किए गए इस कथन पर ध्यान देंते हुए कि शिलांग में दायर शिकायत याचिका दुर्भावनापूर्ण थी, मेघालय राज्य को मुंबई पुलिस को जांच हस्तांतरित करने का निर्देश देते हुए एक रिट ऑफ परमादेश जारी करना चाहिए था।

31. प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी रिट याचिका में ऐसा कोई स्पष्ट अनुरोध नहीं किया गया था, हालांकि पश्चिम बंगाल राज्य को मामला संख्या 381 को राज्य में स्थानांतरित कर क्रमांक का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी कर क्रमांक का अनुरोध किया गया था।पश्चिम बंगाल राज्य के इस संबंध में कानूनी दायित्व होने का प्रश्न ही नहीं उठा।केवल उस स्थिति में जब एक जांच अधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154,162,177 और 178 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कथित अपराध को उसके क्षेत्रीय अधिकारितामें नहीं रखा गया था, तो वह मामले में अधिकारितावाली पुलिस को पहली सूचना रिपोर्ट भेज सकता था।

32. इसलिए उच्च न्यायालय को इस तरह का निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था।हालाँकि, यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय राहत को ढाल सकता है, हमारी राय में, यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें शिकायत याचिका में लगाए गए आरोपों को दुर्भावनापूर्ण कहा जा सके।वाद हेतुक का एक बड़ा हिस्सा यू. पी. राज्य में उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन उसी तरह इसका मतलब यह नहीं होगा कि कलकत्ता अदालत का कोई अधिकारितानहीं था।

33. हम देख सकते हैं कि में अदालत मोसरफ हुसैन खान बनाम.भागीरथ इंग। लिमिटेड और ओआरएस.,(2006) 3 धारा 658, नवीनचंद्र एन. मजीठिया (उपरोक्त) को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिष्ठित करता हैः-

"33. इस मामले में प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में किए गए कथन, भले ही अंकित मूल्य दिए गए हों और पूरी तरह से सही माने गए हों, केरल उच्च न्यायालय को कोई अधिकारिताप्रदान नहीं करेंगे। यह समझौता कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकारितामें किया गया था।जिस परियोजना के लिए पत्थर के चिप्स और परिवहन की आपूर्ति की जा रही थी, वह भी पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर थी।जाहिरा तौर पर भुगतान उक्त अदालत के अधिकारिताके भीतर किए जाने की आवश्यकता थी जहां या तो अनुबंध किया गया था या जहां भुगतान किया जाना था।34.अपीलकर्ता ने शिकायत याचिका में किए गए किसी भी प्रतिशोध से इनकार या विवाद नहीं किया।रिट याचिका में यह केवल भुगतान करने के लिए कुछ समय चाहता था।अब यह सर्वविदित है कि अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान का उद्देश्य यह है कि विशेष रूप से व्यावसायिक लेनदेन के उचित और सुचारू संचालन के लिए, परक्राम्य साधनों के रूप में चेक का उपयोग मुख्य रूप से पक्षों की ईमानदारी और ईमानदारी पर निर्भर करेगा।यह देखा गया कि चेक अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ टाइल लेनदारों को धोखा देने और भुगतान को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में जारी किए जाते थे।इस न्यायालय के कई फैसलों में यह भी देखा गया कि बैंक द्वारा चेक का अनादर करने से प्राप्तकर्ता को अपूरणीय नुकसान, चोट और असुविधा होती है और देश के भीतर और बाहर व्यापार लेनदेन की पूरी विश्वसनीयता को गंभीर झटका लगता है।यह भी मिला गया कि व्यवहार अदालत में उपलब्ध उपचार एक लंबी

प्रक्रिया है और एक बेईमान दराज प्राप्तकर्ता के वास्तविक दावे को विफल करने के लिए गैर-कानूनी रूप से अलग-अलग दलीलें लेता है।

[गोवा प्लास्टिक (पी) लिमिटेड बनाम चिको उर्सुला डिसूजा और मोनाबेन केतनभाई शाह बनाम गुजरात राज्य देखें।]

36. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के उपरोक्त घटकों को प्रदान करने के उद्देश्य से, फरियादी अपीलार्थी को कार्रवाई के कारण का गठन करने वाले तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता थी, जिनमें से कोई भी केरल उच्च न्यायालय के अधिकारितामें नहीं आया था।यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि प्रेम चंद विजय कुमार में इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 142 (बी) के अर्थ के भीतर वाद हेतुक कारण केवल एक बार उत्पन्न हो सकता है।"

34. इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आमतौर पर उच्च न्यायालय को उपयुक्त मामलों को छोड़कर किसी सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान लेने वाले आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

35. हालाँकि, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का पालन किया गया है, जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से प्रतीत होता है।उत्तर प्रदेश राज्य के एक सक्षम जांच अधिकारी द्वारा शिकायत याचिका में निहित आरोपों की जांच करने के लिए मामले के अंत तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक था।उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित विभिन्न स्थानों पर कुछ अपराध किए गए थे।उच्च न्यायालय ने कोई निर्देश जारी नहीं किया था कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन से जुड़े जांच अधिकारी का अधिकारिताहोगा।

36. इस तरह में उच्च न्यायालय का निर्देश अस्पष्ट और अनिश्चित है।एक पुलिस स्टेशन से जुड़ा एक जांच अधिकारी अंतर्ग्रहण के भीतर जांच करने में विकलांग महसूस कर सकता हैःराज्य।इस मामले में जाँच अधिकारी के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह पूर्वनिर्धारित उद्देश्य के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि सहित अन्य राज्यों में भी जाँच करे।

37. इसलिए, हमारी राय है कि यदि इस अपील का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया जाता है तो न्यायाधीश का हित बाधित होगा।

(i) उत्तर प्रदेश राज्य के C.B.C.I.D द्वारा आगे की जांच की जाएगी।

(ii) अभियुक्त/प्रतिवादी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और जमानत देने के लिए उनके आवेदन, यदि किसी भी मामले में, उक्त अदालत द्वारा अपने गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है।

(iii) अभियुक्त/प्रत्यर्थी जाँच अधिकारी के साथ पूरा सहयोग करेगा। यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे निर्देश दिए जाने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे।

(iv) जांच इस आधार अन्य बातों के साथ साथ की जाएगी कि जांच करने का अधिकार क्षेत्र मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन होगा जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के आई. डी. 1 द्वारा शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई जांच को जारी रखते हुए जांच की जा रही हो।इलाहाबाद के मुख्य महानगर दंडाधिकारी को इस संबंध में समय-समय पर उचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

(v) जांच पूरी होने पर रिपोर्ट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कलकत्ता को भेजी जाएगी जो उचित स्तर पर अपने अधिकारिता के प्रश्न का निर्धारण करेगा।

(vi) यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश भारत में संविधान में अनुच्छेद 142 में तहत अतिरिक्त-सामान्य अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किया जा रहा है।सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

38. हमारे द्वारा लिए गए विचारों के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156 की उप-धारा (3) के तहत आदेश एक न्यायिक आदेश या एक प्रशासनिक आदेश है।

39. इस अपील का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

एन. जे.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।